OFFICE OF THE CO-ORDINATOR PRE D.EL. ED. EXAM- 2025
Vardhman Mahaveer Open University, Kota

द्वितीय अपवर्ड मूवमेंट हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश

1. केवल वह ही अभ्यर्थी जिन्होंने द्वितीय आवंटन सूची में आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में सफलतापूर्वक रिपोर्टिंग कर दी है, व अपनी प्रोविजनल प्रवेश स्लिप पोर्टल से प्राप्त कर ली है, द्वितीय अपवर्ड मूवमेंट हेतु पात्र है |
2. द्वितीय आवंटन सूची के पात्र अभ्यर्थियों (जिनके द्वारा सफलता पूर्वक रिपोर्टिंग कर दी गई है) द्वारा उपलब्ध अपवर्ड मूवमेंट के लिंक पर दिनांक 06.08.2025 से 07.08.2025 तक ऑनलाईन आवेदन करना है |
3. द्वितीय अपवर्ड मूवमेंट हेतु अभ्यर्थी सर्वप्रथम वेबसाइट पर उपलब्ध अपवर्ड मूवमेंट लिंक पर क्लिक करें तत्पश्चात अभ्यर्थी आवश्यक जानकारी भरकर पोर्टल पर लॉगिन करें। **पुनः फीस भरने की आवश्यकता नहीं है |**
4. लॉगिन के उपरांत अभ्यर्थी अपवर्ड मूवमेंट हेतु सहमति प्रदान करते हुए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओ टी पी का प्रयोग करते हुए अपवर्ड मूवमेंट हेतु आवेदन सबमिट करें।
5. द्वितीय अपवर्ड मूवमेंट हेतु अभ्यर्थी के द्वारा काउंसलिंग के समय चुने गए अध्यापक शिक्षा संस्थानव चुने गए जिलों के अध्यापक शिक्षा संस्थानों पर ही विचार किया जाएगा | Any Where in Rajasthan पर विचार नहीं किया जाएगा | यदि अभ्यर्थी को प्रथम विकल्प वाला संस्थान आवंटित हुआ है तो अभ्यर्थी का अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगा|
6. द्वितीय अपवर्ड मूवमेंट उपरान्त परिणाम दिनाक 10.08.2025 को सांयकाल तक घोषित किया जाएगा |
7. द्वितीय अपवर्ड मूवमेंट के उपरान्त **नवीन अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटित होने की स्थिति में अपवर्ड मूवमेंट से पूर्व आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान का आवंटन स्वत: ही निरस्त हो जायेगा एवं अभ्यर्थी द्वारा पुराने अध्यापक शिक्षा संस्थान में आवंटित सीट पर दावेदारी स्वीकार नहीं की जाएगी** |
8. अपवर्ड मूवमेंट के उपरान्त आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में दिनांक 11.08.2025 से 14.08.2025 तक व्यक्तिशः रिपोर्टिंग करना अनिवार्य है | **व्यक्तिशः रिपोर्टिंग नहीं करने की स्थिति में अथवा रिपोर्टिंग के समय अभ्यर्थी से सम्बंधित समस्त आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी का सीट आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं उचित कार्यवाही की जाएगी |**
9. अपवर्ड मूवमेंट के उपरान्त नया अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटित नहीं होने की स्थिति में पूर्व में आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान जिस पर अभ्यर्थी ने स्वयं उपस्थित होकर रिपोर्टिंग की थी, वही अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटित रहेगा। पुनः फीस भरने की आवश्यकता नहीं है।

समन्वयक
प्री डी. एल. एड. परीक्षा 2025